


**जिला गजट**  
**झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित**

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी अधिसूचनाएँ, अधिघोषणाएँ एवं स्थानीय सूचनाएँ

साधारण

अंक संख्या— 33

बोकारो गुरुवार

20.06.2019

1. अधिसूचनाएँ
2. भू-अर्जन संबंधी अधिघोषणाएँ
3. स्थानीय सूचनाएँ आदि

1-3

.....

.....

.....

.....

**प्रपत्र VI**  
**झारखण्ड सरकार**  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम—30 / 2013 की धारा—11 (1) के अधीन)**

पत्रांक : 155 / भू030

दिनांक : 18.02.2019

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—राधानगर, थाना—जरीडीह, थाना सं0 36 अंचल—चास, जिला बोकारो में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 (बी0पी0सी0एल0) हेतु अपेक्षित है इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार—संक्षेप यथा—निम्न है :— In view of the deliberations above and the facts mentioned in the relevant SIA Report, technically there seems to be no adverse effect by the project of BPCL on the lively hood of land owners and villagers. Moreover the land acquisitions of BPCL is being done in Public interest and as a public purpose in the State/National interest. Therefore the proposed land acquisitions for BPCL can be taken up for establishing an a rail corridor/rail line for oil depot at Radhanagar, Bokaro. भू अर्जन के कारण कुल शून्य परिवारों के विस्थापन होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—राधानगर, थाना—जरीडीह थाना सं0 36 अंचल—चास जिला—बोकारो में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 4.8600 एकड़ यानि 1.9676 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं	खाता सं	सर्व प्लॉट सं	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	85	1265	निजी	कृषि	0.67	अज्ञात	432	1264	1266	1264
2	183	1266	निजी	कृषि	0.08	सविता सरकार, विकाश, साधन सरकार, संदीप कुमार सरकार वगैरह, झरना सरकार, रीता सरकार, कृशना सरकार	432	1268	1267	1265
3	21	427	निजी	कृषि	0.06	अज्ञात	426	432	432	423
4	37	426	निजी	कृषि	0.03	अज्ञात	220	427	432	423
5	92	424	निजी	कृषि	0.09	अज्ञात	423	404	425	423
6	92	423	निजी	कृषि	0.64	अज्ञात	220	404	426	421
7	40	418	निजी	कृषि	0.01	योगिन्द्र रजक, हरिपद रजक, अनन्त, पुरन रजक, भीशम रजक, तरनी रजक, भूनेश्वर रजक, राजेन्द्र रजक	419	411	417	389
8	56	419	निजी	कृषि	0.18	कुसुम धोबी पति स्व0 जोगी रजक एवं अन्य	220	420	220	220
9	56	386	निजी	कृषि	0.07	मानिक बाउरी, गुनपद बाउरी, मधु बाउरी, जदु बाउरी, बादल बाउरी, चरखू बाउरी एवं अन्य	220	390	387	385
10	56	385	निजी	कृषि	0.08	मानिक बाउरी, गुनपद बाउरी, मधु बाउरी, जदु बाउरी, बादल बाउरी, चरखू बाउरी एवं अन्य	220	392	386	382
11	56	381	निजी	कृषि	0.09	कुसुम धोबी पति स्व0 जोगी रजक एवं अन्य	220	376	382	380
12	45	261	निजी	कृषि	0.37	बादल चन्द्र मुर्मू प्रेम किशन मुर्मू भरत प्रसाद मुर्मू विमल मुर्मू वगैरह	272	220	377	367
13	145	260	निजी	कृषि	0.09	बादल चन्द्र मुर्मू प्रेम किशन मुर्मू भरत प्रसाद मुर्मू विमल मुर्मू वगैरह	230	261	230	287
14	145	259	निजी	कृषि	1.51	बादल चन्द्र मुर्मू प्रेम किशन मुर्मू भरत प्रसाद मुर्मू विमल मुर्मू वगैरह	230	287	260	258

15	189	289	निजी	कृषि	0.02	दिलीप, प्रदीप, सोष्टि, रेंगु सरकार पिता स्व0 गोलक बिहारी सरकार, निशित रंजन, सुजीत, संजीत सरकार पिता स्व0 सुबोध कुमार सरकार, जुलन सरकार पिता स्व0 नवो गोपाल सरकार	303	92	288	303
16	29	380	निजी	कृषि	0.02	बनवाली धोबी एवं अन्य	220	389	381	261
17	143	258	निजी	कृषि	0.65	नन्द लाल मांझी, साहेब राम मांझी, जगदीश मांझी वगैरह	230	330	259	256
18	29	383	निजी	कृषि	0.02	बनवाली धोबी एवं अन्य	220	384	220	220
19	40	384	निजी	कृषि	0.10	योगिन्द्र रजक, हरिपद रजक, अनन्त, पुरन रजक, भीशम रजक, तरनी रजक, भूनेश्वर रजक, राजेन्द्र रजक	383	220	220	220
20	5	1302	निजी	कृषि	0.06	सुरपेन्दु दास वो सुवेन्दु दास, शंकर दास, राम रंजन दास	220	432	1303	431
21	40	382	निजी	कृषि	0.02	अज्ञात	220	393	92	381
<b>कुल रकवा</b>					<b>4.8600</b>					

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा—11 (1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू—अर्जन पदाधिकारी बोकारो के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता—सह—समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू—वेधन—छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू—अर्जन पदाधिकारी बोकारो और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू—अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू—अर्जन पदाधिकारी बोकारो के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0—  
समाहर्ता,  
बोकारो।